न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 124/2019

अनवान :

1. ताराचंद
2. गुलाबसिंह
3. चतरसिंह
4. रामकुमार
5. राजेन्द्र कुमार

} पुत्रान पोकरराम जाति कुम्हार निवासी मुन्दडियाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. पोकरराम पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी मुन्दडियाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. विनोद
3. भगवानी
4. सुचित्रा

} पुत्रियां पोकरराम जाति कुम्हार निवासी मुन्दडियाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री किसनलाल यादव **: वादीगण**

निर्णय दिनांक : 11-3-2020

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्दडियाबड़ा के खाता सं0 80/76 के खसरा सं0 85 की 2.555 है0 खसरा सं0 115 की 8.663 है0, खसरा सं0 244 की 1.037 है0 कुल क्षेत्रफल 12.255 है0 बारानी कृषि भूमि स्थित है जो वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 पोकरराम के नाम खातेदारी दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 प्रतिवादी पोकरराम के पुत्र पुत्री है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति है। वाद भूमि पोकरराम को विरासतन अपने पिता ख्यालीराम से प्राप्त हुई है। वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण का भी जन्म से हक निहित है। प्रतिवादी पोकरराम परिवारका कर्ता होने के कारण भूमि तन्हा प्रतिवादी पोकरराम के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। राजस्व रिकार्ड में भूमि तन्हा प्रतिवादी पोकरराम के नाम खातेदारी दर्ज रहने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिवादीया विनोद, भगवानी,सुचित्रा ने वाद भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के हक में त्याग कर अपना हिस्सा शुन्य कर लिया था अब वाद भूमि में प्रतिवादीया सं0 2 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है तथा ताराचंद 1/6 हिस्सा, वादी गुलाबसिंह 1/6 हिस्सा, वादी चतरसिंह 1/6 हिस्सा वादी रामकुमार 1/6, वादी राजेन्द्र कुमार 1/6 तथा प्रतिवादी सं0 1 पोकरराम 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वाद भूमि को काश्त करते चले आ रहे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर [illegible] कर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] सं0 1 ता 4 ने इकबालदावे पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:07 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में वादी राजेन्द्र कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मुन्दडियाबड़ा खाता सं0 80/76 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग (सैटलमेंट विभाग) ग्राम मुन्दडियाबड़ा सम्वत् 2016 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम मुन्दडियाबड़ा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति होना तथा पोकरराम को विरासतन अपने पिता ख्यालीराम से प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग (सैटलमेंट विभाग) ग्राम मुन्दडियाबड़ा सम्वत् 2016 प्रदर्श 3 करवाई है जिसमें खसरा सं0 115 की कृषि भूमि वादीगण के दादा ख्यालीराम वल्द इसर के नाम दर्ज है जिससे उक्त कृषि भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है किन्तु अन्य खसरों की कृषि भूमि को दादालाई साबित करने बाबत वादीगण ने कोई दादालाई का रिकार्ड पेश नहीं किया है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 में पोकरराम के वारिसान में पत्नी भागादेवी, पांच पुत्र ताराचन्द, गुलाबसिंह, चतरसिंह, रामकुमार व राजेन्द्र कुमार एवं तीन पुत्रियां विनोद, भगवानी, सुचित्रा होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी आंशिक तौर पर डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्दडियाबड़ा के खाता सं0 80/76 के खसरा सं0 115 की 8.663 है0 बारानी कृषि भूमि जो वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 पोकरराम के नाम खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी पोकरराम के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक के नाम 1/6–1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारेठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 124/2019

अनवान :

1. ताराचंद
2. गुलाबसिंह
3. चतरसिंह
4. रामकुमार
5. राजेन्द्र कुमार

} पुत्रान पोकरराम जाति कुम्हार निवासी मुन्दडियाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. पोकरराम पुत्र ख्यालीराम जाति कुम्हार निवासी मुन्दडियाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. विनोद
3. भगवानी
4. सुचित्रा

} पुत्रियां पोकरराम जाति कुम्हार निवासी मुन्दडियाबड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किसनलाल यादव की उपस्थिति में निर्णय हेत प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्दडियाबड़ा के खाता सं0 80/76 के खसरा सं0 115 की 8.663 है0 बारानी कृषि भूमि जो वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 पोकरराम के नाम खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी पोकरराम के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादिया सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैं के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक के नाम 1/6–1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-3-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(मुकेश बारैठ)
भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner